उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2
संख्या- 509 /2024/1466/2024/27-2002-252-2024-2 ,
लखनऊ :दिनांक: 30 अगस्त, 2024

शुद्धि -पत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य पोषित मद संख्या-4711 के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में राप्ती बैराज के डाउन स्ट्रीम के बाएं तट पर स्थित लक्ष्मणपुर भगवानपुर (लक्ष्मणपुर कोठी) परसा डेहरिया ग्राम समूह के पास चैनेज किमी0 0.000-0.100 तक कटान निरोधक कार्य की परियोजना (लागत रू0 304.86 लाख) हेतु शासनादेश सं0-457/2024/1338/2024/27-2002-252-2024-2, दिनांक: 31.07.2024 के द्वारा रू2,00,00,000.00 (रू0 दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. उक्त शासनादेश, दिनांक:31.07.2024 के प्रस्तर-2 की तालिका में अंकित 'मुख्य अभियन्ता (गण्डक), गोरखपुर' के स्थान पर 'मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना-प्रथम, अयोध्या' पढ़ा जाये।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए | शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे |

आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव ।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(7) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0 (बाढ़), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(9) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(10) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(11) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(12) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(13) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(14) सिंचाई अनुभाग-9
(15) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(आलोक कुमार द्विवेदी)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।